फर्द अहकाम

(नियम 16)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम हनुमानगढ़

सुमन बनाम जयदेव आदि

किस्म मुकदमा:– 212 आर.टी.ए. नम्बर 14 सन 2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
25/7/22	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत हुए। प्रार्थीया की ओर से संशोधित शीर्षक प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की दादी सुखीदेवी के नाम से चक 13 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 65/60 के पत्थर नम्बर 121/200 (15) किला नम्बर 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 121/201 (16) किला नम्बर 1 से 4, 8 से 11, पत्थर नम्बर 120/201 (17) किला नम्बर 3 ता 8, 14, 15, 17 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में 2.530 हैक्टेयर व प्रार्थीया के पिता जयदेव के नाम से चक 19 एमजेडी के खाता संख्या 107/85 के पत्थर नम्बर 110/184 (57) किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 0 (68/14) किला नम्बर 0/4 तादादी 0.176 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 0 (70/12) किला नम्बर 0/2 तादादी 0.126 हैक्टेयर कुल 2.527 हैक्टेयर कृषि भूमि है। सुखीदेवी फौत हो चुकी है। 13 एमएमके की कृषि भूमि प्रार्थीया की दादी के नाम से है चक 19 एमजेडी की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व अप्रार्थी संख्या–7 की माता सरस्वती देवी व अप्रार्थी संख्या 10 से 12 की नानी सरस्वती देवी को बहिस्सा बराबर औद हुई व उपरोक्त विरास्तन कृषि भूमि में प्रार्थीया का हक व हिस्सा है। घरू विभाजन में उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के हक हिस्सा में आई हुई है तथा प्रार्थीया के हिस्सा अनुसार उसका कब्जा काश्त है इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में स्थगन जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कृष्ण कुमार द्वारा सहायक कलेक्टर संगरिया में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 [illegible] खारिज हो चुका है तथा प्रश्नगत दस्तावेज तस्दीकशुदा है। अप्रार्थी संख्या 1/2 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 19 एमजेडी तहसील संगरिया की उपरोक्त 10 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1/2 की दादी सुखीदेवी जोजा मानाराम की खातेदारी थी। सुखीदेवी ने अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 27.11.1974 को अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में उपहार कर दी। प्रार्थीया के पिता व चाचा व भुआ ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुए एकपक्षीय तौर पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.20 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में करवा लिया था जिसकी अपील अप्रार्थी संख्या 1/2 ने पेश की। माननीय उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने दिनांक 04.07.2011 को जयदेव व उनके भाईयों के पक्ष में हुए इन्तकाल आदेश दिनांक 19.01.2004 को निरस्त करते हुए पत्रावली तहसीलदार संगरिया के समक्ष रिमांड कर दी। अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 27.11.1974 को शून्य घोषित करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 जयदेव, जसवंत, रामकुमार ने दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश, संगरिया मुकदमा नम्बर 76/1997 प्रस्तुत किया। माननीय सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी के जरिये दिनांक 05.12.2003 को अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश संगरिया के समक्ष अपील संख्या 1/2004 प्रस्तुत की। समाननीय अपर जिला न्यायाधीश संगरिया ने भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.11.2010 को अपील खारिज कर दी तथा सिविल न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1/2 कृष्ण कुमार के पक्ष में सुखीदेवी के द्वारा निष्पादित व पंजीबद्व उपहार पत्र सही होना माना तथा उपरोक्त भूमि पर कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1/2 का होना माना है तथा इसी सिविल न्यायालय के आदेश से उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने इन्तकाल आदेश दिनांक 04.07.2011 खारिज कर दिया। चक 19 एमजेडी की भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 1/2 के नाम दर्ज न हो, इसी उद्वेश्य से मिथ्या वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या–1 जयदेव ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए बअनवानी "जयदेव बनाम पतराम" राजस्व वाद संख्या 46/2012 प्रस्तुत किया था जिसका ज्ञान अप्रार्थी संख्या 1/2 को होने पर पक्षकार बनकर जवाब पेश किया तथा माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.06.2012 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्व जयदेव ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 15.03.2016 को खारिज कर दी गई। इन सब तथ्यों का प्रार्थीया को शुरू से ज्ञान रहा है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा कथित वाद पत्र जो कृष्ण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका अंतिम फैसला नहीं हुआ बल्कि अदम पैरवी में खारिज हुआ। प्रश्नगत दस्तावेज उपहार पत्र है इस कारण सिविल न्यायालय ने विवाद्यक निर्णित कर अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में भी अप्रार्थी संख्या 1/2 को पक्षकार बनाए बिना एकपक्षीय स्थगन हासिल किया। अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र को सही होने की विवेचना की है। अप्रार्थी संख्या 1/2 के अधिवक्ता ने सिविल न्यायालय के निर्णय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय व राजस्व न्यायालय के निर्णय तथा उपहार पत्र की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.20 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी ...गढ़

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 13 एमएमके की कृषि भूमि कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में से 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया का अथवा अप्रार्थीगण का कितना–कितना हक व हिस्सा है या नहीं, यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य के उपरांत तय होना है, लेकिन चक 19 एमजेडी की उपरोक्त 10 बीघा कृषि भूमि का

उपहार पत्र दिनांक 27.11.1974 सुखीदेवी पत्नी मानाराम ने अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में करवाया गया है जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा सिविल न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को सही होने की अवधारणा पारित की है व कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1/2 का होना माना है। प्रार्थीया चक 19 एमजेडी की कृषि भूमि के सम्बंध में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है जबकि चक 19 एमजेडी की कृषि भूमि का उपहार पत्र अप्रार्थी संख्या 1/2 के पक्ष में है। चक 19 एमजेडी का मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में नहीं बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं पाये जाते। उक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.05.2017 में वर्णित चक 13 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 65/60 के पत्थर नम्बर 121/200 (15) किला नम्बर 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 121/201 (16) किला नम्बर 1 से 4, 8 से 11, पत्थर नम्बर 120/201 (17) किला नम्बर 3 ता 8, 14, 15, 17 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में 2.530 हैक्टेयर ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है तथा चक 19 एमजेडी के खाता संख्या 107/85 के पत्थर नम्बर 110/184 (57) किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 24, 25 व पत्थर नम्बर 0 (68/14) किला नम्बर 0/4 तादादी .176 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 0 (70/12) किला नम्बर 0/2 तादादी .126 हैक्टेयर कुल तादादी 2.527 हैक्टेयर कृषि भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.20 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested